

प्रेषक,

निदेशक,
यूपीनेडा, लखनऊ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद- बांदा।

पत्रांक: 319/नेडा-एसई-अवादा इन्डोसोलर प्रा.लि/70 मे.वा/सरकारी भूमि लीज/2018 दिनांक 22/8/2023

विषय: मैसर्स अवादा इन्डोसोलर प्रा नई दिल्ली द्वारा ऑपेन एक्सेस के अन्तर्गत 70 मेगावाट क्षमता की सौर पावर परियोजना की स्थापना हेतु ग्राम 0-अलोना, तहसील-पेलानी, जनपद- बांदा में चिन्हांकित 55.9261 एकड़ सरकारी भूमि को सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत लीज पर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया अभिकरण के पत्र संख्या 2418/यूपीनेडा-एसई-ओपेन एक्सेस/319/2018 दिनांक 01.08.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मैसर्स अवादा इन्डोसोलर प्रा 0 लि 0 नई दिल्ली को स्थापित की जा रही 70 मेगावाट मेगावाट क्षमता की सौर पावर परियोजना हेतु चिन्हांकित की गयी 22.6330 हेक्टेयर (55.9261 एकड़) सरकारी भूमि/ग्रामसभा भूमि को अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को पट्टे पर उपलब्ध कराने हेतु सूचित किया गया है।

उक्त के क्रम में सूचनीय है कि राजस्व अनुभाग द्वारा शासनादेश संख्या 5/ 2023 / प्र 0 स 0-53/एक-1-2023-रा 0-1 लखनऊ दिनांक 15 मार्च, 2023 (प्रति सलंगन) निर्गत किया गया है, जिसमें उल्लेखित है कि "उ 0 प्र 0 सौर ऊर्जा नीति-2022 से आच्छादित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उ 0 प्र 0 राजस्व संहिता की धारा-77 (1) की भूमियों को छोड़कर धारा-59 की उपधारा-2 के खण्ड-(एक), (तीन) तथा (चार) की भूमि को 1 रूपये प्रति एकड़ सांकेतिक मूल्य दर पर अधिकतम 30 वर्ष के लिये पट्टे पर प्रशासकीय विभाग के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी, जो अपने स्तर से परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उ 0 प्र 0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) को उपलब्ध कराया जायेगा"

तत्क्रम में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ 0 प्र 0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 1050/87-अति 0 ऊ 0 स्रो 0 वि 0 /2023 दिनांक 03 अगस्त, 2023 (प्रति सलंगन) के द्वारा सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना के लिए निवेशकों को सरकारी भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये हैं।

शासनादेश के बिन्दु संख्या 01 में उल्लेखित है कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिये निजी क्षेत्र के निवेशकों को रु. 15000/- प्रति एकड़/प्रतिवर्ष के लीज रेंट पर तथा सार्वजनिक उपकरणों हेतु रु 0 1.00 प्रति एकड़/प्रतिवर्ष के सांकेतिक मूल्य पर लीज पर 30 वर्षों के लिए भूमि उपलब्ध करायी जायेगी।

शासनादेश के बिन्दु संख्या 08 उल्लेखित है कि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पास जो भूमि उपलब्ध होगी उसे प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर लीज पर दिये जाने के लिए प्रस्तावित की जायेगी। निवेशक द्वारा एक महीने के अन्दर अपनी फाइनेन्शियल नेटवर्थ, डीपीआर, बैकवर्ड एण्ड फारवर्ड लिंकेज तथा अन्य सुसंगत विवरण यूपीनेडा के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। उसके बाद ही उच्च स्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरांत लीज डीड निष्पादित की जा सकेगी।

शासनादेश के बिन्दु संख्या 13 में उल्लेखित है कि निवेशक द्वारा वार्षिक लीज रेन्ट नियमित रूप से अग्रिम के रूप में यूपीनेडा में जमा किया जायेगा।

शासनादेश के बिन्दु संख्या 14 में उल्लेखित है कि निवेशक से प्राप्त होने वाले वार्षिक लीज रेन्ट को यूपीनेडा द्वारा सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत राजकोष में जमा कराया जायेगा। यूपीनेडा द्वारा इस हेतु सभी भूमि का अलग-अलग लेखा बनाकर सुरक्षित रखा जायेगा।

उपरोक्त के क्रम में 70 मेगावाट क्षमता की सौर पावर परियोजना की स्थापना हेतु चिन्हांकित सरकारी भूमि 55.9261 एकड़ लीज पर उपलब्ध कराये जाने हेतु यूपीनेडा द्वारा लीज रेंट की वार्षिक धनराशि रु. 56.00 (रूपये छप्पन मात्र) को राजकोष लेखाशीर्षक "0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियां-08-मालकाना-राजस्व-0806 प्रकीर्ण प्राप्तियां" में जमा किया गया है (चालान की मूलप्रति सलंगन।)

अस्तु उपरोक्त के दृष्टिव्य आपसे अनुरोध है कि सौर पावर परियोजना की स्थापना हेतु ग्राम0-अलोना, तहसील-पेलानी, जनपद-बांदा में चिन्हांकित सरकारी भूमि 55.9261 एकड़ को अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में 30 वर्ष हेतु पट्टे पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सलंगनकः-यथोक्त।

भवदीय,

01/2 (अनुपम शुक्ला)
निदेशक, यूपीनेडा।

- प्रतिलिपि:-1. मैसर्स अवादा इन्डोसोलर प्रा.लि नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा बांदा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी महोदय से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

01/2 (अनुपम शुक्ला)
निदेशक, यूपीनेडा।

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2

प्रपत्र संख्या-43 ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

- उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम :
- पता :
- पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या : (यदि आवश्यक हो)
- जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण : (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)
- चालान की सकल राशि :
- चालान की निबल राशि :
- लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की मुहर :
- लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड :

कालिदास कोषागार, लखनऊ

निदेशक

उत्तर प्रदेश, नवीन एवं

नवीकरणीय उर्जा विकास अभिकरण
लखनऊ

सोम प्रसाद परियोजना अन्तर्गत
जमापद - बंधन 10 प्रशासकीय प्रशास
हेतु अग्रिम लोन रेट को धनराशि जमा हेतु
क्रमा 56=50

11 0029 - अग्रजस्व - 800 - अग्र जमापद
- 08 - आनुकाना - अग्रजस्व - 0806 अग्रिम
जमापद

मुख्य लेखा-शीर्षक	उप मुख्य-शीर्षक	लघु-शीर्षक	उप-शीर्षक	व्योरेवार-शीर्षक	धनराशि (अंको में)
0029	00	800	08	0806	56.50
					/
					योग
					56.50

धनराशि (शब्दों में) : (अग्रिम अग्रिम अग्रिम)

चालान में लेखाशीर्षक पुष्ट करने वाले
विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

अग्रिम शर्त
निदेशक

जमाकर्ता को नाम के हस्ताक्षर एवं
नवीकरणीय उर्जा विकास अभिकरण
लखनऊ

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या : HA 35051

अंको में रू०	56.50
शब्दों में रू०	अग्रिम अग्रिम अग्रिम

दिनांक :

भारतीय स्टेट बैंक
नगर
0981 18 AUG 2023 0981
अग्रिम कुमार सोमवार
हस्ताक्षर
PF ID-7487312

प्राप्त किया
जमाकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार/
बैंक की मुहर सहित